रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 342] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 30, 1988/आषाढ़ 9, 1910

No. 342] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 30, 1988/ASADHA 9, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 जून, 1988

का. आ. 630 (अ) :—केन्द्रीय सरकार का स्थायी सलाहकार समिति द्वारा उसको की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि कच्चे जूट और जूट पैकेज सामग्री के उत्पादन तथा उसके उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों के हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतः केन्द्रीय सरकार, जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग आनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 29 मई, 1987 में प्रकाशित, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. 530 (अ) तारीख 29 मई, 1987 के आदेशों को अधिक्रांत करते हुए, सिवाए उन बातों को छोड़कर जो ऐसे अधिक्रांत किए जाने के पूर्व की गई या की जाने से रह गई है, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि 1 जुलाई, 1988 से नीचे की अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं, ऐसी न्यूनतम प्रतिशतता में, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट है, पूर्ति या वितरण के लिए जूट पैकेज सामग्री में पैक की जाएगी।

अनुसूची

क्रम सं.	वस्तुएं	जूट पैकेज सामग्री में पैक किए जाने के लिए अपेक्षित वस्तु या वस्तुओं के वर्ग के कुल उत्पादन की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)
1.	खाद्यान्न	शतप्रतिशत
2.	चीनी	शतप्रतिशत
3.	सीमेंट केवल	सत्तर प्रतिशत
4.	उर्वरक (यूरिया)	शत प्रतिशत

[फा. सं. 9/12/88-जूट]

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 30th June, 1988

S.O. 630 (E).—Whereas the Central Government, after considering the recommendations made to it by the Standing Advisory Committee, is satisfied that it is necessary so to do in the interest of production of raw jute and jute packaging material, and of persons engaged in the production thereof ;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987) and in supersession of the orders of the Government of India in the Ministry of Textiles No.S.O.539(E) dated the 29th May, 1987, published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II Section 3, Sub-section (ii) dated the 29th May, 1987, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that, with effect from the 1st July, 1988, the commodities specified in column (2) of the Schedule below, shall be packed in jute packaging material, for supply or distribution, in such minimum percentage as specified in corresponding entries in column (3) of the said Schedule. :—

SCHEDULE

Sl. No.	Commodities	Percentage of total production of commodity or class of commodities required to be packed in jute packaging material
(1)	(2)	(3)
1.	Foodgrains	Hundred per cent.
2.	Sugar	Hundred per cent.
3.	Cement	Seventy per cent.
4.	Fertilizer (Urea only)	Hundred per cent.

[F. No. 9/12/88-Jute]

आदेश

का. आ. 631 (अ) :—केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में कतिपय सिमेंट संयंत्रों को धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के प्रवर्तन से छूट देना समीचीन है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि 1 जुलाई, 1988 को और उससे :—

1. ऐसे लघु या नन्हें सीमेन्ट संयंत्रों को, जिनकी प्रतिष्ठापित क्षमता 100 मीटरी टन प्रतिदिन तक की है, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश के प्रवर्तन से छूट दी जाएगी :

परन्तु यह कि यदि कोई लघु या नन्हा सिमेंट संयंत्र 100 मीटरी टन प्रतिदिन से अधिक उच्चतर प्रतिष्ठापित क्षमता प्राप्त कर लेता है तो उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया कोई आदेश उस तारीख को और उससे उसको लागू होगा, जिसको वह ऐसा उच्चतर उत्पादन प्रारम्भ करता है।

2. कलकत्ता से 1200 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित सीमेंट संयंत्र, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश में यथाविनिर्दिष्ट 70% के बदले अपने सीमेंट उत्पादन का 65 प्रतिशत जूट पैकिंग करने की सामग्री में पैक करेंगे।

[फा. सं. 9/12/88-जूट]

एल. वी. सप्तर्षि, संयुक्त सचिव

ORDER

S.O. 631 (E).—Whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient to exempt certain cement plants from the operation of order made under section 3 in the public interest;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987), the Central Government hereby directs that on and from the 1st July, 1988:—

1. The tiny or mini cement plants having installed capacity upto 100 Metric Tonne per day shall be exempted from the operation of the order made under sub-section (1) of section 3 of the said Act ;

   Provided that if a tiny or mini cement plant goes in for higher installed capacity beyond 100 Metric Tonne per day, any order issued under sub-section (1) of section 3 of the said Act shall apply to it on and from the date of its going in for such higher production.

2. The cement plants located beyond 1200 Kilometres from Calcutta shall pack 65% of their production of cement in jute packaging material instead of 70% as envisaged in the order made under sub-section (1) of section 3 of the said Act.

[F. No. 9/12/88-Jute]

L.V. SAPTHARISHI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988